न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-O 32/2018 श्रीमती नानीबाई बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02–01–2019	वकील अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर राजसमन्द के प्रकरण संख्या 2/2018 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण में तथ्य यह है कि तहसीलदार राजसमन्द द्वारा धारा–251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रकरण में 3/2018 में अपने निर्णय दिनांक 6–6–2018 से रेस्पोन्डेन्ट लक्ष्मीबाई के आवेदन पर उसका आवेदन स्वीकार करते हुए ग्राम कांकरोली के आराजी संख्या–88 में पानी ले जाने के लिए आराजी संख्या–90 में विपक्षी द्वारा बन्द धोरे को खोलने का आदेश दिया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द के प्रकरण संख्या 3/2018 में धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरणों में दिनांक 6–6–2018 के निर्णय के विरूद्ध प्रार्थिया अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर राजसमन्द के यहां प्रथम अपील संख्या 7/2018 पेश की। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त अपील संख्या 7/2018 के निर्णय दिनांक 16–8–2018 में अपील किस धारा में पेश की गई, यह वर्णित नहीं है, परन्तु यह स्पष्ट होता है कि उक्त अपील स्पष्टतया धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही तहसीलदार राजसमन्द के आदेश के विरूद्ध पेश की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय (प्रथम अपीलीय न्यायालय) जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा अपील संख्या 7/2018 मं अपने निर्णय दिनांक 16–8–2018 से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द के निर्णय को संशोधित करते हुए आराजी नंबर 90 में धोरे को खोलने के स्थान पर, आराजी नंबर 90 की भूमि में से 2 फीट गहरी पाईप लाईन डालने का आदेश दिया। अर्थात प्रथम अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय से जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदार राजसमन्द के आदेश अन्तर्गत धारा–251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को संशोधित किये जाने का आदेश दिया। अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील के निर्णय से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में यह अपील धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956	

के तहत जिला कलक्टर राजसमन्द के अपील संख्या 7/2018 में पारित निर्णय दिनांक 16–8–2018 के विरूद्ध पेश की। इस न्यायालय द्वारा निांक 6–11–2018 को पेश शुदा उक्त अपील को दिनांक 14–11–2018 को दर्ज रजिस्टर कर आगामी पेशी दिनांक 14–12–2018 दी।

दिनांक 14–12–2018 को इस न्यायालय द्वारा प्रकरण का पूर्ण अवलोकन करने के बाद यह पाया कि प्रथम अपील जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 16–8–2018 जो कि धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में किया गया है, की अपील धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय के श्रृवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में नहीं है। धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित अपील आदेश की द्वितीय अपील नहीं हो सकती। अपीलान्ट अधिवक्ता को दिनांक 14–12–2018 को उक्त समस्त स्थिति से अवगत करवाते हुए, इस बाबत् उन्हें कोई लिखित जवाब अथवा न्यायिक दृष्टांत पेश करने हो तो दिनांक 26–12–2018 तक पेश करने के लिए निर्देशित किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा आदिनांक तक इस बाबत् कोई लिखित/मौखिक जवाब या अन्य न्यायिक दृष्टांत पेश नहीं किये है।

उपरोक्त विधिक व तथ्यात्मक स्थिति के दृष्टीकोण से यह अपील इस न्यायालय के श्रृवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के आदेश के विरूद्ध पेश होने से विधिक रूप से पोषणीय नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16–8–2018 यथावत रखा जाता है। अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने को स्वतन्त्र है।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02–01–2019 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-O 32/2018 श्रीमती नानीबाई बनाम सरकार

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0) अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत .... सहायक कलक्टर मु0...... .... उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........27............. माह ....02........... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 15..... माह ......06.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........15..... माह ...06........ 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा....... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-O 32/2018 श्रीमती नानीबाई बनाम सरकार

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी
निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य –2

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल
निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य–6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत ....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ......उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........08.............. माह ....07........... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 25..... माह ......05.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि .... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0. 800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........14..... माह ...06....... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील .... 6. स्टाम्प वकालत नामा....... 7. इजराय हुक्मनामा .... 8. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।